

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/8785

लखनऊ: दिनांक: 20/09/2022

कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4082-MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/8786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY

Khan

(एफ0आर0 खान)

सचिव

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अग्रणी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधियों, नियमों, अधिनियमों, शासनादेशों, निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राविधिक शिक्षा, उ0पधा, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0पध0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0पध0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ जिनसेवा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम दायर किया जाता है जहां दायर बाध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ जिनसेवा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा जहाँ प्रदेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैकअप पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, पढ़ाई के लिए जाने वाला सुल्फ, छात्रावास सुल्फ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साजसज्जा उपलब्ध करने के साथ रेगिमें ले-आउट के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सांभालनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संचालित पाठ्यक्रम को चलायी जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध नवीनतम अडमिनिस्ट्रेशन, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी देनी है कि संस्था अंतर्गत का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो इसका प्रमाण टी.सम्बद्धता समाप्त होने जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के संचालन/प्रशिक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी न-अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू.सं.सं. प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

तारीख:

पता: विदेशक, MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY, PARSARA BHARWARI, KAUSHAMBI-212201



(सुनील कुमार सोनकर)

**कार्यालय,
राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,
महाराष्ट्र प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1971

लखनऊ दिनांक 18-8-2020

कार्यालय भाषा -

राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद (राज्य) द्वारा लखनऊ में 12वीं वार्षिक कार्यन्वयन बैठक हुई जिसमें, सर्व विस्तारों द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारों द्वारा राष्ट्रीय तहसीली शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तदनुसार प्राथमिक शिक्षा परिषद (राज्य) लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ में 12वीं वार्षिक कार्यन्वयन बैठक में बैठक-प्रस्ताव सुई-पैच में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्थात् सर्व विस्तारों को सम्बद्धता/पूर्ति से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए, तथा कार्यन्वयन करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए।

पत्रों के अनुषंग में सम्बद्धता समिति का टाइटल नं. 10-3 में विस्तारों द्वारा वार्षिक प्रत्येक संवर्धित करने वाले नए संस्थाओं को प्रवेश देने के लिए सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान विस्तार-विस्तारों के निम्नलिखित निर्देश दिए गए।

उपरोक्त टाइटल में संस्थाओं को विस्तारों द्वारा वार्षिक प्रदान करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ लखनऊ में पूर्ण से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें लखनऊ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रवेश नाम के समुच्चय अर्थात् पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विस्तार-विस्तार किया गया एवं सर्वसम्पत्ति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 14-8-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये सुपरीकेला निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 00 20 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रदान करने हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	सुनील इंटरनेट केंद्र, वार्षिक-लखनऊ, लखनऊ।	विस्तार 20 वर्षीय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एमआईसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदान प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमव्यवस्था 1982, संशोधित विनियमव्यवस्था-2018 तथा अन्य निर्धारित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित शर्तों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय वार्षिक पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष तथा एक वर्षीय वार्षिक पाठ्यक्रम (एक वर्षीय प्राथमिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ के तहत द्वारा निर्देश दिये जाने वाले शासनार्थक प्रस्तावों द्वारा और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten signature)

उनके अधिकारक क्षेत्र। उनके अधिकार क्षेत्रके द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु वसूल की जानेवाली कर वसूलिया के लिए आवश्यक है तो
उनकी कार्यवाही कर लेनी चाहिए।

- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए सविशेष संस्थाओं को संबन्धित विभाग के तहत
विनियमनकारी-2000 की शर्तों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सचिव, प्रबंध, परिषद के सदस्यों द्वारा कार्यवाही करने को ही करना होगा। और ही विभाग को उनके की
विधि से उत्तर देना। उनसे के विदेशीकरण की कार्य को कार्यवाही को करनी।
- ✓ संस्था को समय समय पर विगत कार्य-कारवाही के अनुसार रिपोर्ट एवं सम्बन्धित सूचना देना करनी होगी।
- ✓ संस्था को प्रशासनिक विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्रस्ताव द्वारा कार्यवाही को विधि, विभाग अधिनियम, वसूल-वसूल, विदेशीकरण अधिनियम, परिषद
के तहत सचिव, सचिव, प्रबंध, परिषद के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ विभाग के कार्यवाही अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ विभाग के कार्यवाही अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ विभाग के कार्यवाही अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।
- ✓ संस्था को विभाग अधिनियम के तहत कार्य को अनुपालन करनी होगी। उनके अनुसार कार्य करना।

(स. अ. अ. वि.)
सचिव

पु.सं- प्राथम/परिषद/सम्बन्ध/2020/ 1972-3141

सद दिनांक 15-09-2020

पत्रिका-प्रशासनिक/निदेशक, सहायक कलेक्टर प्रमुख कार्यालय, प्रशासन, भारत, कोलकाता।

(स. अ. अ. वि.)
सचिव